संख्या-252/2026/815के-2/22-3-2025-17(1077)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम कुमार बनराजा उर्फ कुवारें पुत्र श्री जगवन्त, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम कुमार बनराजा उर्फ कुवारें पुत्र श्री जगवन्त, जो ग्राम-भिटौरा थाना- को0 बीकापुर, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 04.11.2020 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर 01 व्यक्ति को घायल कर दिया जिसकी अस्पताल में 10-12 दिन उपचार के बाद मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/2021 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, फैजाबाद के आदेश दिनांक 04.09.2023 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 01-02-2025 तक 04 वर्ष, 02 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 05 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है तथा बन्दी की आयु 79 वर्ष है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने ऐसा कृत्य पूरे समाज व गॉव को प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार के सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी राम कुमार बनराजा उर्फ कुवारें पुत्र श्री जगवन्त की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 01.02.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 05 माह, 22 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जानें, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम कुमार बनराजा उर्फ कुवारें (बंदी संख्या-10619/23) पुत्र श्री जगवन्त, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।